भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 915
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना"

†915. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत निर्मित जल स्रोतों की दीर्घकालिक निरंतरता बनाए रखना, पुनर्भरण, जल गुणवत्ता निगरानी और सामुदायिक स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच किस प्रकार समन्वय सुनिश्चित कर रही है; और
(ग) भूमि अधिग्रहण या पर्यावरणीय मुद्दों के कारण लगातार विलंब हो रही प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी और निष्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के ठोस प्रयासों से लगभग 12.43 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को

नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है। इस प्रकार, 22.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.94%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्रोतों का संवर्धन, जेजेएम का एक अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति स्कीम को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत अन्वेषण समिति की सिफारिश के बाद ही अनुमोदित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहचान किए गए जल स्रोत, जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में स्कीम डिजाइन अवधि के लिए अपेक्षित मानदण्ड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता है।

ख) ग्राम-अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा निर्भरणीय भू-जल स्रोतों की अनुपस्थिति वाले जल की कमी से ग्रस्त सूखा प्रवण और मरूस्थलीय क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण, शोधन तथा संवितरण प्रणालियों के लिए पेयजल स्रोतों और अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण/आवर्धन करना।

ग) मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण।

जल शक्ति अभियान - कैच द रेन अभियान, इसके विभिन्न संस्करणों में, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास आदि पर केंद्रित है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, जल जनित स्वास्थ्य जोखिम की समय पर पहचान/मूल्यांकन करने तथा उचित तथा नियमित कीटाणुशोधन जैसे निवारक/उपचारात्मक उपाय करने के लिए अनिवार्य है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नल कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को बैंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

वर्तमान कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को कार्य पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना शामिल है। जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि भी विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

जल जीवन मिशन की परिकल्पना और कार्यान्वयन एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्रामीण परिवारों हेतु नियमित और सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस मिशन के तहत, गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) आदि को भी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है ताकि जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने, लामबंदी और समुदायों को शामिल करने, सूचना का प्रसार करने तथा महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों को प्रशिक्षित किया जा सके।

(ख): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, सतत जल संरक्षण व्यवहारों को लागू करना, इत्यादि है।

पीएमकेएसवाई एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। इसके अलावा, एचकेकेपी में चार उप-घटक होते हैं: कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी & डब्ल्यूएम), सतही

लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर) तथा भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। एचकेकेपी के सीएडी एवं डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के समरूप कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तथापि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेसीपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 2021-22 तक अनंतिम रूप से दी गई है, बाद में जिसे प्रगतिशील कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई में ऐसे दो घटक शामिल हैं, जिन्हें अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक, 2015 में पीएमकेएसवाई की स्थापना से दिसंबर, 2021 तक पीएमकेएसवाई का एक हिस्सा था। तत्पश्चात्, इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के भाग के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख बाधा है। भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से लगभग 55,290 किमी के संवितरण नेटवर्क के निर्माण से लगभग 76,594 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से बचा जा सका है। कुछ पीएमकेएसवाई परियोजनाओं में एससीएडीए आधारित जल संवितरण और सूक्ष्म सिंचाई से जल उपयोग दक्षता में सुधार आया है। एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी, एक प्रबंधन सूचना प्रणाली से समर्थित, लगभग वास्तविक समय के आधार पर किसी परियोजना से संबंधित प्रगति और बाधाओं की निगरानी में मदद मिलती है। इसके अलावा, पीडीएमसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है।

(ग): परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले मुद्दों की निगरानी परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिसमें परियोजना में भूमि अधिग्रहण, सांविधिक स्वीकृति आवश्यकताओं आदि जैसे मुद्दों और बाधाओं पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है तथा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उनका समाधान किया जाता है।

***